प्रेस विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांकः– 25.08.2020

थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा हत्या की का खुलासा कर 06 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात एवं क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23.08.2020 को थाना अकबरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 656/20 धारा 302/201 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त तौफीक पुत्र नशीम खॉ नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बारा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान अभियुक्त तौफीक ने बताया कि मेरा अशर्फी कुशवाहा की पत्नी से जो मेरे गॉव की है व मेरा आना जाना अशर्फी कुशवाहा की गैर मौजूदगी में आना जान था जो कि राजेश कुमार पाल को इसका विरोध करता था उसके मना करने के बावजूद भी मेरा आना जाना बना रहा। कुछ समय पूर्व पानी के विवाद को लेकर मेरे और राकेश पाल के बीच कहा सुनी हुयी थी तभी मैने सोच लिया थ इसको रास्ते से हटा दूंगा। घटना वाले दिने मैने देखा कि राकेश पाल भैस के लिये कर्वी लेने खेत जा रहा है चूंकि मेरा घर और उसका घर आस–पास है मै उस पर लगातार नजर रखे हुये था फिर मैने एक सब्बल लोहे का पीठ में छिपाया व एक चाकू लोवर में छिपाकर उसके पीछे–पीछे चल दिया चूंकि उस वक्त बारिस हो रही थी आस–पास कोई नही था थोडा इंतजार करने बाद राकेश पाल अपनी चरी के खेत में आ गया मैने उससे कहा कि मुझे भी अपनी बकरी के लिये थेडी सी चरी दे दो इसी दौरान बातचीत करते करते मैने राकेश के सिर पर सब्बल मार दिया जो उसके सिर पर न लग कर कंधे पर लगा और वह भागने लगा और वह रित्र्ही के धान के खेत में गिर गया मै भी भाग कर उसके पास पहुंचा और चाकू निकाल कर पेट पर वार कर दिया जिससे उसकी आंते निकल आयी फिर मैने उसी चाकू से उसका गला रेत दिया। चाकू से वार करते समय मेरे बायें हांथ की दो उंगलियां काफी कट गयी थी इसके बाद मै अपने घर पहुंचा तो मेरे घर पर मौजूद मेरे पिता नशीम मॉ रिहाना बेगम, भाई शकील खॉ व शफीक उर्फ बबलू व मुन्ना उर्फ अतीक भाभी रबिया बेगम बहन कु0 मोनी ने पूंछा की तुम्हारे कपडों में खून कैसे लगा व हांथ में चोट कैसे लगी है। तब मैने सभी को बताया कि आज मैने राकेश पाल की सब्बल व चाकु मारकर हत्या कर दी है और मौके से भाग आया हूं इसी पर मेरी भाभी राबिया ने मेरे खून लगे कपडे धुल दिये तथा मेरी बहन को सुखाने के लिये दे दिये इसी बीच मैने हत्या में प्रयुक्त सब्बल व चाकू को घर में छिपा कर रख दिया और अपने साथी नसीम पुत्र मुनउवर को हत्या की पूरी बात नेशनल अस्पताल से पट्टी बधवाकर लौटते समय बताई थी इसके बाद मैने घर से पैसे लेकर बाबरपुर जाने के लिये निकला था और हाइवे पर किसी वाहन का इन्तार कर रहा था कि तभी आईटीआई के पास आया तो आप लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की विवेचना से अभियुक्त नशीम खां पुत्र स्व0 रहमत खां, रिहाना बेगम पत्नी नशीम खां पुत्र मुनउवर, शकील खां पुत्र नशीम खां, शफीक उर्फ बबलू पुत्र नशीम खां, राबिया बेगम पत्नी शकील खां नि0गण बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात। के नाम प्रकाश में आये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

1. तौफीक पुत्र नशीम खॉ नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. नशीम खां पुत्र स्व0 रहमत खां नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
3. रिहाना बेगम पत्नी नशीम खां नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
4. नसीम पुत्र मुनउवर नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
5. शफीक उर्फ बबलू पुत्र नशीम खां नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
6. राबिया बेगम पत्नी शकील खां नि0 बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण–

1. 01 अदद लोहे की सब्बल
2. 01 अदद लोहे की चाकू
3. पहने हुये कपडे
4. 01 अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना अकबरपुर–

1.प्र0नि0 श्री तुलसीराम पाण्डेय थाना अकबरपुर
2.उ0नि0 श्री बृजेश कुमार थाना अकबरपुर
3. उ0नि0 श्री रवि कुमार डांगी थाना अकबरपुर
4. उ0नि0 श्री रणजीत सिंह थाना अकबरपुर
5. उ0नि0 श्री अनुराग पाण्डेय थाना अकबरपुर
6. उ0नि0 श्री विकल्प चतुर्वेदी थाना अकबरपुर
7. उ0नि0 श्री गजेन्द्र पाल थाना अकबरपुर
7. म0उ0नि0 श्रीमती उमा यादव थाना अकबरपुर
5. का0 543 गुरदीप थाना अकबरपुर
6. का0 118 योगेश कुमार थाना अकबरपुर
7. का0 71 जितेन्द्र कुमार थाना अकबरपुर
8. का0 41 देवेन्द्र चाहर थाना अकबरपुर
9. का0 31 पवन सिंह थाना अकबरपुर
10. म0आ0 300 आरती जावला थाना अकबरपुर
11. म0आ0 304 कल्पना थाना अकबरपुर